



राजस्थान-सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

विकास खण्ड शासनसचिवालय जयपुर ई-मेल rajpr.sep@rajasthan.gov.in, seprd123@gmail.com दूरभाष नम्बर 0141-2227884

क्रमांक:-एफ.4(53)परावि/पीसी/जजयो/क्रियान्वयन/2012/1489 जयपुर दिनांक 7-6-17

संशोधित-आदेश


जनता जल योजना के अंशकालीन पम्प चालको को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, अपील संख्या 11355/2013, 11356/2013, 11357/2013, 11358/2013, 11359/2013, 11360/2013, 11361/2013, 11362/2013, 11363/2013, 11364/2013, 11365-11366/2013 में दिनांक 21.09.2016 को एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा याचिका संख्या 15098/2012, 5613/2013, 7663/2013, 8079/2013, 19253/2013 में दिनांक 2.11.2016 को पारित निर्णय की पालना में अपीलार्थियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर मजदूरी दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

इस क्रम में विभागीय संमख्यक आदेश क्रमांक 1030 दिनांक 28.04.2017 के द्वारा अपीलार्थियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर दिनांक 21.9.16 से मजदूरी दिये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1030 दि. 28.4.17 को संशोधित करते हुये स्पष्ट किया जाता है कि मजदूरी दर का भुगतान दि. 21.9.16 के स्थान पर दि. 1.2.13 से देय होगा। जनता जल योजना के पम्पचालको को पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुये शेष राशि का भुगतान पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि से किया जावे।


यह आदेश वित्त (व्यय-5) विभाग की आई डी संख्या 121700075 दिनांक 23.05.17 से प्राप्त सहमती के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
(आर.एस.मेकड)  
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि.प.रा।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा.वि.प.रा।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव महोदय ग्रा.वि.प.रा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय।
6. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज।
7. उप शासन सचिव, विधि, पंचायती राज।
8. उप विधि परामर्शी, पंचायती राज।
9. मुख्य /अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- समस्त।
11. प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
(मुकेश माहेश्वरी)  
अधीक्षण अभियन्ता